महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – पैतीसवां संस्करण (माह फरवरी 2018)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. विकास आयुक्त /अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
3. मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूह का उत्पाद और ''विन्ध्यावैली'' प्रोजेक्ट
4. सतत् विकास लक्ष्य अंतर्गत स्वस्थ गांव हेतु योजना
5. हमारा गांव हमारा निर्णय
6. प्रशिक्षण समीक्षा बैठक का आयोजन

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान निर्मित आवास

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का पैतीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2018 का द्वितीय मासिक संस्करण है।

अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 25 जनवरी, 2018 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है। इसके अतिरिक्त जहां एक ओर स्व सहायता समूह द्वारा अभिनव प्रयासों को बताता **'' मध्यप्रदेश में स्व सहायता समूह का उत्पाद और ''विन्ध्यावैली'' प्रोजेक्ट ''** एवं वही **''सतत् विकास लक्ष्य अंतर्गत स्वस्थ गांव हेतु योजना''** विषय पर लेख के माध्यम से एक सुपोषित ग्राम पंचायत द्वारा ही सामुदाय स्वास्थ्य की कल्पना पर प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ–साथ **''हमारा गांव हमारा निर्णय (ग्राम सभा)''** जिला जबलपुर जनपद पंचायत कुण्डम के ग्राम पंचायत अमझर ग्राम कोटरागोंदी में ग्राम सभा में शामिल होकर एक आदर्श ग्राम सभा किस प्रकार की हो, इसे आलेख के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विकास आयुक्त सभाकक्ष में संपन्न हुई प्रशिक्षण समीक्षा बैठक पर एक समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको 'पहल' का यह संस्करण अत्यंत रूचिकर लगेगा तथा कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 25.01.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. स्वच्छ भारत मिशन :

1.1 वीडियो कान्फ्रेंशिंग में सचिव भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा कम प्रगति वाले जिलों में सिंगरौली, श्योपुर, एवं डिण्डौरी, छतरपुर एवं पन्ना तथा मध्यम प्रगति वाले जिलों में मुरैना, सिवनी, सागर, रतलाम, एवं जबलपुर तथा अधिक प्रगति वाले जिलों में विदिशा, खण्डवा, रीवा, एवं रायसेन जिले से चर्चा कि गई।

1.2 अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में जिला श्योपुर एवं पन्ना को तय समय–सीमा में खुले में शोंच से मुक्त किये जाने हेतु राज्य स्तर से गठित दल द्वारा तैयार की गई रणनीति का प्रस्तुतीकरण किया गया। तैयार की गई रणनीति के क्रियान्वयन के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सतत् अनुश्रवण हेतु निर्देश दल के सदस्यों को दिये गये।

1.3 प्रत्येक जिला GOI MIS में दर्ज स्वच्छाग्राहियों का प्रशिक्षण अनिवार्यतः कराकर उनका उपयोग सुनिश्चित करें।

1.4 90 प्रतिशत से 99.99 प्रतिशत कवरेज वाले ग्रामों में विशेष अभियान चलाकर शत्– प्रतिशत् शौचालय निर्मित कर ग्रामों को शीघ्र अतिशीघ्र खुले में शौच मुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

1.5 100 प्रतिशत कवरेज वाले ग्रामों को GOI MIS में ओडीएफ घोषित किया जाये। शत्– प्रतिशत् कवरेज वाले ऐसे ग्राम जिनमें हितग्राहियों की संख्या 05 या उससे कम है, कि सूची ओडीएफ घोषित किये जाने के अभिमत के सांथ राज्य कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें ताकि उन्हें GOI MIS में ओडीएफ घोषित किया जा सके।

1.6 न्यूनतम कवरेज वाले ग्रामों में जिला जिला/जनपद/ग्राम पंचायत में पदस्थ कार्यालयीन अमले कि मेपिंग की जाये, ताकि शौचालय निर्माण के कार्यों में अपेक्षित प्रगति प्राप्त की जा सके।

1.7 GOI MIS में प्रदर्शित अनुपयोगी शौचालय जो वास्तव में अस्तित्व में नही है, उन्हें GOI MIS से विलोपित किया जाये।

1.8 श्योपुर जिले में जिला समन्वयक कि पदस्थापना, राज्य कार्यालय द्वारा की जाऐ। सिंगरौली unicef के traind manpower की मांग की।

1.9 ओडीएफ जिले श्रेष्ठ प्रेरकों की सूची एक सप्ताह में राज्य कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार प्ररकों का उपयोग कम प्रगति वाले जिलों में Mass Community Trigging के लिये किया जायेगा ।

1.10 शौचालय के भौतिक सत्यापन के दौरान सुपरवाईजर द्वारा मौके पर उपलब्ध शौचालय के प्रकार की प्रविष्टी आवश्यक रूप से की जाये ।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत माह जनवरी 2018 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूध्द झाबुआ, सिंगरौली, सीधी, अलीराजपुर, रीवा अशोकनगर, डिण्डौरी, छतरपुर, बैतूल, दमोह, सागर, गुना, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, हरदा तथा नीमच

जिलों की प्रगति 50 प्रतिशत से भी कम है। धीमी प्रगति के लिए असंतोष व्यक्त किया जाता है। सभी जिले, जनपद तथा क्लस्टरवार क्षेत्र में भ्रमण कर समीक्षा करें। तथा धीमी प्रगति के कारकों को दूर करते हुए 31 जनवरी 2018 तक अपेक्षित प्रगति लाई जाए।

2.2 प्रथम चरण के राज मिस्त्री प्रशिक्षण के 20 जनपदों के परीक्षा परिणाम उत्साहवर्द्धक आये हैं। द्वितीय चरण के राज मिस्त्री प्रशिक्षण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं जिसके विरूध्द मात्र छतरपुर में प्ररंभ किया गया है शेष जिलों में प्रशिक्षण प्रारंभ होना शेष है। ऐसे समस्त जिले जिनमें प्रथम चरण का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है उनमें तत्काल द्वितीय चरण का प्रशिक्षण किया जाए।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास :

3.1 जनवरी– 2018के प्रथम 3 सप्ताह के लक्ष्यों के विरूध्द 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिले निम्नानुसार है :–

50 – 30 प्रतिशत प्रगति वाले जिले :

सतना, देवास, दतिया, रीवा, विदिशा, आगर, नीमच, बैतूल, खरगौन, धार, टीकमगढ, पन्ना, शाजापुर, सागर, बुरहानपुर, शिवपुरी, सीहोर, इंदौर

30– प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिले

अशोकनगर, सिवनी, रायसेन, भोपाल, बालाघाट, उमरिया, सिंगरौली, डिंडौरी, छिंदवाडा, सीधी, एवं शहडोल

3.2 उक्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्रत्येक परियोजना के विकासखण्ड समन्वयक एवं विकासखण्ड अभियंता को बुलाकर धीमी प्रगति की समीक्षा करें कठिनाइयों का निराकरण कर उन्हें कार्यों में गति लाने हेतु निर्देशित करें । जिला तकनीकी विशेषज्ञ/जिला परियोजना अधिकारी प्रत्येक परियोजना के ग्रेामों में जाकर कार्यों की प्रगति की मॉनीटरिंग करें।

4. पंचायतराज :

4.1 मुख्य कार्यपालन, जिला पंचायत सिंगरौली द्वारा बताया गया कि पोर्टल पर सचिव एवं सरपंच के मोबाईल नं. बदलने हेतु अधिकार जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ही दिऐ जाएं। वर्तमान में हटाए गये व्यक्ति को ही आवेदन दर्ज कराना होता है।

4.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरैना द्वारा यह जानकारी चाही गई कि न्यायालय से स्टे प्राप्त होने पर क्या सरपंच अथवा सचिव को वित्तीय अधिकार पुनः दिये जायें ।

4.3 मुख्य कार्यपालन, जिला पंचायत मण्डला द्वारा सचिवों के माह अप्रेल से जून तक के लंबित भुगतान के लिये आवंटन चाहा गया ।

4.4 मुख्य कार्यपालन, जिला पंचायत दतिया द्वारा पोर्टल पर सचिवों का निश्चित मानदेय का प्रवधान करने की मांग की गई।

(उक्त चारों बिन्दुओं पर कार्यवाही– संचालक पंचायत)

5. मनरेगा :

5.1 महात्मा गांधी नरेगा से लंबित सामग्री भुगतान हेतु प्रत्येक जनपद पंचायत को FTO जारी करने के लिए राशि का निर्धारण

आयुक्त मनरेगा द्वारा दिनांक 19.01.2018 को जारी किया गया था। जनपद पंचायत के जिन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक राशि व्यय की गई है, उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे।

(कार्यवाही– आयुक्त मनरेगा)

5.2 निर्देशों के विपरीत सर्वाधिक सामग्री मद में भुगतान किये जाने हेतु शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत खनियाधाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

(कार्यवाही– संयुक्त आयुक्त (स्थापना) विकास आयुक्त कार्यालय)

5.3 वृक्षारोपण के निर्देश :

5.3.1 माह जुलाई में नर्मदा वेसिन के 24 जिलों एवं शेष 27 जिलों को वृक्षारोपण का संभावित लक्ष्य दिया जावे। 29 व 30 जनवरी 2018 को आयोजित कार्यशाला में मैदानी अमले से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस वर्ष की वृक्षारोपण की कार्ययोजना तैयार की जावे।

(कार्यवाही– आयुक्त मनरेगा)

5.3.2 विगत वर्ष के उत्तरजीवित्ता को देखते हुए इस वर्ष किसानों के निजी खेत की मेढ एवं खेत में फलोद्यान परियोजनाओं को अधिक से अधिक लिया जाना है। स्थानिय स्तर पर वानिकी एवं फलदार पौधों की मांग का आंकलन पात्र वर्ग के कृषकों की पसन्द के अनुसार किया जावे।

5.3.3 योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं वन विभाग से जिलों से प्राप्त प्रजातिवार पौधों की मांग के आधार पर पौधों उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिलेवार नर्सरी चिन्हित करने हेतु कहा गया है।

(कार्यवाही– समस्त जिले)

5.4 पानी से संबंधित अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जावे एवं नवीन कार्यों को वर्ष 2018–19 के लेबर बजट में शामिल किया जावे–

5.4.1 प्रत्येक ग्राम में एक नवीन तालाब/तालाब मरम्मत कार्य

5.4.2 मनरेगा वाटरशेड के कार्य– 88 विकासखण्डों में ।

5.4.3 Irrigation Deprived Block – 28 विकासखण्ड (मण्डला, डिण्डोरी, पन्ना, शहडोल, उमरिया)

5.4.4 ग्राम उदय से भारत उदय अंतर्गत चिन्हित– विभाग द्वारा निर्मित संरचनायें। जल संरक्षण सरंचनाओं के मरम्मत कार्य–50,000/– तक 14 वा वित्त से एवं 50,000/– से अधिक मनरेगा से।

5.4.5 कपिलधारा कूप निर्माण– अपूर्ण व नवीन कार्य – खेत तालाब।

5.4.6 पीएमकेएसवाय व मनरेगा Convergance

धार – मनावर, रतलाम– जावरा, मंदसौर– मंदसौर व सीतामउ।

(कार्यवाही– समस्त जिले)

5.5 नरेगा से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने है। जिलों द्वारा जिस क्षेत्र में अच्छा काम किया गया हो उससे संबंधित प्रस्ताव आयुक्त मनरेगा को 31 जनवरी 2018 तक अनिवार्यतः भेजे जावें।

(कार्यवाही– समस्त जिले)

मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूह का उत्पाद और ''विन्ध्यावैली'' प्रोजेक्ट

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर बढ़ाने, हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्व–सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को उद्योग लगाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रहीं हैं। इस दिशा में अभिनव प्रयासों के रूप में प्रोजेक्ट विन्ध्या वैली एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसमें स्व–सहायता समूह एवं ग्रामीण उत्पादकों के सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज विन्ध्या वैली प्रोजेक्ट से जुड़ने पर स्व–सहायता समूह के प्रोडक्ट आमजन तक पहुंचने लगे हैं।

देखने को मिलता है कि, बहुत से ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगाने पर सुविधाओं के अभाव में हितग्राहियों के सामने बहुत सी परेशानियां आती हैं व उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना

पड़ता है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे अपना उत्पाद कहां बेचें। कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि, विपणन की समझ और सुविधाओं के अभाव में शासन से अनुदान मिलने के बाद भी ग्रामीण उद्योग सफल नहीं हो पाते हैं। इस कारण से गांव से बहुत से लोग पलायन भी कर जाते हैं।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस ओर सकारात्मक पहल कर प्रोजेक्ट विध्यावैली के नाम से एक अभिनव परियोजना मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ की है। पहले दो वर्षों में इस योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से केन्द्र शासन को विन्ध्यावैली परियोजना का प्रस्ताव वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया। केन्द्र शासन द्वारा कुल 15 करोड़ रूपये की पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति प्रदान की गई।

इस योजना का क्रियान्वयन म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के तकनीकी एवं विपणन मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ब्राण्ड विकसित कर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराकर उसका उचित मूल्य एवं निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण उत्पादों का मूल्य संवर्धन (वेल्यू एडिशन), ग्रामीण क्षेत्र में कौशल उन्नयन, ग्रामीण उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण एवं विकास करना है। इसके अलावा आकर्षक पैकेजिंग का विकास एवं मानकीकरण, विपणन एवं निर्यात सहायता, दूर–दराज के क्षेत्रों में भी ग्रामीण उत्पादों का प्रचार–प्रसार कर विपणन करना है।

इस योजना का अभिनव पहलू यह है कि परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि सीधे ही स्व–सहायता समूहों को लाभान्वित करेगी। यह राशि विक्रय संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। विन्ध्यावैली परियोजना के अन्तर्गत कृषि एवं वनाधारित उत्पादों को लिया गया है क्योंकि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान एवं वन बाहुल्य राज्य है एवं मसालों

का यहां व्यापक उत्पादन होता है। यह परियोजना स्व–सहायता समूहों एवं ग्रामीण उत्पादकों के सशक्तिकरण का एक अभिनव प्रयास है एवं इससे ग्रामीण क्षेत्र में जीविकोपार्जन प्रोत्साहित होगा।

विध्यावैली के अन्तर्गत चयनित उत्पाद रू हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, वेल्यूएडेड मसाले– सांभर मसाला, चना मसाला, पावभाजी मसाला, शहद, पापड़, अचार, सोयाबीन, हर्बल चाय, अगरबत्ती, सरसों तेल, फ्रूट जैम, कसूरी मैथी, कश्मीरी मिर्च, मुरब्बा तथा हर्बल शैम्पू हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भविष्य में जोड़े जाने वाले संभावित उत्पादों में गुड़, तुवर दाल, चना दाल, धनिया, लहसुन, राई, सरसों दाल, अदरक, सोंठ, आलू चिप्स तथा चिरौंजी है।

पात्रता : स्व–सहायता समूहों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रोजेक्ट विन्ध्यावैली से जुड़ने के लिये निम्नानुसार पात्रता होनी आवश्यक है।

1. समूह का गठन ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत हुआ हो एवं उत्पादनरत हो।

2. आवश्यकतानुसार एगमार्क – एफ.सी.ओ. से पंजीकृत हो।

3. समूह में अधिकतम सदस्य बी.पी.एल. की सूची से चयनित हों।

4. वाणिज्यिक कर विभाग से टिन नंबर प्राप्त हो।

कार्यवाही – विन्ध्यावैली प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से प्रबंध संचालक, म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 74 अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाये। निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त होने के बाद कार्यरत इकाईयों का बोर्ड के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा इकाई का निरीक्षण किया जाता है एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रोजेक्ट से जोड़ा जाता है। स्व–सहायता समूहों को लाभ – स्व–सहायता समूहों के विन्ध्यावैली से जुड़ने के पश्चात निम्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी :

1. उनके उत्पाद विन्ध्यावैली के मार्केटिंग नेटवर्क एवं बोर्ड के अनोखा एम्पोरियम के माध्यम से विक्रय किये जायेंगे।

2. स्थानीय स्व–सहायता समूहों के माध्यम से विक्रय करने पर 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त विपणन प्रोत्साहन स्व–सहायता समूहों को स्वीकृत किया जायेगा।

3. वांछित गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय करने पर त्वरित भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी जिसे विक्रय राशि से समायोजित किया जायेगा।

4. पैकेजिंग की व्यवस्था हेतु सहयोग।

5. उत्पादनों को सुनिश्चित करने हेतु लेबोरेटरी (परीक्षण प्रयोगशाला) स्थापना हेतु लेब स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपये तक की सहायता।

6. स्व–सहायता समूहों द्वारा स्थापित लेबोरेटरी में परीक्षण हेतु स्थानीय व्यक्ति को प्रशिक्षण की सुविधा ताकि वह अंशकालीन समय देकर गुणवत्ता नियंत्रण कर सके।

7. उत्पाद के परीक्षण हेतु व्ययों की आंशिक/पूर्ण प्रतिपूर्ति।

एगमार्क प्राप्त करने की प्रक्रिया – एगमार्क शब्द एग्रीकल्चर मार्केटिंग का संक्षिप्त रूप है। यह भारत सरकार के प्रमाणीकरण का चिन्ह है, जो उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों की शुध्दता एवं गुणवत्ता का आश्वासन देता है। शहद, सरसों का तेल, गरम मसाले, हल्दी पिसी, मिर्च पिसी, धनिया पिसा, पिसा सोंठ, गुड़ आदि के लिये एगमार्क लेना आवश्यक है। अचार, जैम, जैली, केचअप आदि के लिये एफ.पी.ओ. लेना आवश्यक होता है। वर्तमान में प्रोजेक्ट विन्ध्यावैली के प्रोडक्ट गाँव – शहरों में इसकी शुध्दता के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। इससे स्व – सहायता समूहों के उत्साह में वृध्दि तो हुई ही है समूह भी विन्ध्यावैली प्रोजेक्ट से जुड़ने पर गर्व का अनुभव कर रहे है।

डॉ संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

सतत् विकास लक्ष्य अंतर्गत स्वस्थ गांव हेतु योजना

सतत् विकास के लक्ष्य एक समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार तभी होगा जब ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सभी सुपोषित हो, किसी शिशु की मौत, बाल मृत्यु या माता की मृत्यु की कोई घटना न हो, बाल विवाह की कोई घटना न हो, प्रत्येक घर में स्वच्छ शौचालय का प्रयोग होता हो यानी खुले में शौच न हो और क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चा टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित हो। इस संदर्भ में आगामी वर्ष में क्या कार्य किए जाने योग्य हैं, उपलब्ध संसाधनों, विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है और लोगों, विशेष रूप से सबसे गरीबों और सबसे अधिक सुविधाविहीनों तक किस प्रकार प्रभावी तरीके से सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं और किस प्रकार समाज को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है, ये सब ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य योजना प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।

योजना प्रक्रिया में सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों विशेष रूप से सुविधाविहीनों, महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े समुदायों को उनकी भागीदारी और स्वामित्व बढ़ाने की विकास पहलों में संलग्न करने से विकास योजना और अधिक सार्थक बनेगी।

स्वास्थ्य ग्राम पंचायत स्तर हेतु नियोजन के लक्ष्य

- लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का समयबद्व और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना
- गांव के लोगों, विशेष रूप से सबसे गरीब परिवारों को उनके स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों और मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में संघटित करना
- ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) ग्राम पंचायत का स्तर प्राप्त करना और स्तर को निरंतर/बनाए रखने के लिए काम करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सभी घरों के लिए सुरक्षित पीने का पानी सुनिश्चित करना
- स्वास्थ्य, पोषण और सफाई के बारे में समाज को जागृत करना
- टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशुओं/बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना
- समाज की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य संरचना को अपग्रेड करना

ग्राम पंचायत को लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति प्रगति पर नजर रखने के लिए विशेष सूचकों सहित लक्ष्य तय करना भी जरूरी है।

सतत् विकास लक्ष्यों में ग्राम पंचायत की भूमिका

गांव की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत क्या कर सकती है?

- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करें जो हेल्थ फेसिलिटी एण्ड एक्सटेंशन सर्विस के द्वारा दी गई थी।
- रेफरल सेंटर के साथ संबंध स्थापित करना और आपातकालीन सेवाओं 24 घंटे/7 दिन, के लिए परिवहन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- विलेज हैल्थ सेनिटेशन न्यूट्रीन कॅमेटीज (वी.एच. एस.एन.सी) और रोगी कल्याण समिति की प्रभावी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करें।
- नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए आई.ई.सी. के माध्यम से परिवारों को समर्थ बनाना, स्तनपान, विशेष स्तनपान और बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए विशेषज्ञ की तलाश करना, समेत
- ग्राम पंचायत में माताओं की मृत्यु के सोशल ऑडिट की सुविधा प्रदान करें।
- शीघ्र पहचान, जल्द निदान और रोगों के समय पर उपचार को बढावा देना।
- स्वास्थ्य रक्षा और सफाई को बढावा देने के लिए मौसमी अभियानों को लागू करना।
- गैर संचारी रोगों (एन.सी.डी.) पर जागरुकता को पैदा करना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से गृह–आधारित उपशामक देखभाल की पहल करें।
- समुदाय आधारित पुर्नावास को व्यवस्थित करें।
- बिना धुएं वाले चूल्हे, उन्नत कुकिंग स्टोव, घर में पर्याप्त वायु–संचार को बढावा देना।
- स्वास्थ्य विभाग व एन.जी.ओ के साथ सहयोग बनाना व आई.सी.सी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर खेल, मनोरंजन व परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना।

हेल्थ इंसोरेन्स में सभी कमजोर व्यक्तियो का नामाकंन करना।

सुरेन्द्र प्रजापति,
संकाय सदस्य

हमारा गांव हमारा निर्णय (ग्राम सभा)

तारीख 28 जनवरी 2018, अमझर ग्राम पंचायत के कुटराघोडी गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अमझर ग्राम पंचायत में 03 गांव शामिल हैं– अमझर, हिनौता जो कि अमझर से 05 कि.मी. है और कुटराघोडी जो कि अमझर से 07 कि.मी. है। यह ग्राम सभा हिनौता और कुटराघोडी के लिए रखी गई थी।

सरपंच, श्री रमेश यादव और कुटराघोडी के पंच सुबह 10 बजे से लोक सम्पर्क में लगे थे। ग्राम सभा का एजेंडा, तारीख और समय की सूचना 07 दिन पहले मुनादी के द्वारा हिनौता और कुटराघोडी में दे दी गई थी। सुबह 11 बजे से लोगों का जुडना शुरू हुआ और 11.30 बजे तक ज्यादातर लोग उपस्थित हो चुके थे। श्रीमति कविता दुबे, ग्राम पंचायत सचिव भी समय से पहुॅच चुकी थी।

कुटराघोडी की प्राथमिक शाला के बाहर कालीन बिछाकर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। पुरूष और महिलाओ के लिए एक समान बैठने की व्यवस्था की गई। सरपंच, पंच और ग्राम पंचायत सचिव भी कालीन पर ही बैठे थे।

सरपंच अध्यक्ष पद पर रहे और ग्राम सभा का संचालन शुरू किया, ग्राम पंचायत के ऐजेंडे को पढकर सुनाया गया और फिर एक के बाद एक ऐजेंडा ग्राम सभा के समक्ष रखना शुरू किया गया।

एजेंडा 01 – पीएमएवाय– ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि वर्ष के अंतर्गत 32 आवास बनाने का लक्ष्य था जिसमें से 29 आवास पूर्ण हुऐ है, दो आवास की किस्त आनी बाकी है, और एक आवास अधूरा है। उन्होने लोगो को बताया कि यदि आवास अधूरा रहेगा तो आवास कि सूची आगे नही बढेगी। उन्होने सरपंच से निवेदन किया कि जिनका घर अधूरा है उनसे कारण पूछा जाऐ। सरपंच ने उन महोदय को बुलाया, जिन्होंने कारण बताया कि राशि खत्म हो चुकी है। ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव ने लोगो को सूचना देते हुए कहा कि, पीएमएवाय के अंतर्गत सरकार सहायता देती है, हितग्राही की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे स्वयं की राशि का भी उपयोग करें। पंचायत सचिव ने पीएमएवाय में आने वाली राशि की जानकारी

दी और शौचालय का कन्वरर्जेंस स्वच्छ भारत मिशन से होता है, यह भी सूचना दी।

ग्राम पंचायत सचिव ने बताया की कुटराघोडी में डिफॉल्टर बहुत है और यदि आवास समय से पूरे नहीं बनाये तो आवास की राशि लौटानी पड़ेगी. सचिव ने बताया की 2017–2018 मे आठ नए हितग्राही को आवास मिलना है और सूची बनाते हुए, सरपंच से नाम घोषित करने को कहा। आवास की सूची देखते हुए, सरपंच ने 8 लोगो (4 हिनौता से और 4 कुटराघोडी से) के नाम घोषित किये।

कुछ हितग्राही ने शौचालय की राशि ना मिलने के मुद्दे को उठाया, इस मुद्दे को बैठक कार्यवाही पंजी मे लिखा गया।

एजेंडा 2 – आतंरिक सड़क – लोगों से पूछा गया कि कौन से नई सड़क बनानी है, जिस पर लोगो ने बताया की पिछली ग्राम सभा में जिन सड़कों के नाम लिखवाये गये थे उन मे से कुछ सड़क बनना शेष है। चर्चा विचारणा के बाद, चार नए सड़क, एक सड़क की मरम्मत और जो बकाया रह गई थी उन सड़कों का स्मरण–पत्र दिया गया।

एजेंडा 3 – कीचड़ मुक्त गांव – आगे बढ़ाते हुए, ODF, की चर्चा की गई और नया लक्ष्य, कीचड़ मुक्त गांव की बात की गई. सचिव ने बताया की हर हैंडपंप और घरो के पानी का निकास बेहतर करना होगा और गांव मे कभी भी कीचड़ ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। कुछ लोगो ने बताया की कुछ हितग्राही शौचालय का इस्तेमाल लकडियां रखने के लिए कर रहे है। जिस पर सचिव ने बताया की समुदाय को सामाजिक दबाव बनाते हुए ऐसे घरों का व्यवहार परिवर्तन करना होगा।

एजेंडा 4 – आगे बढ़ाते हुए, जॉब कार्ड के बारे में चर्चा की। सचिव ने नए जॉब कार्ड बनाने के लिए कौन से अभिलेख लगेंगे उस की चर्चा की. कुछ लोगो ने जॉब कार्ड्स प्राप्त करने में रूचि बताई, जिनके अभिलेखों को ग्राम सभा मे जमा करवाने के निर्देश मिले।

कर वसूली पर चर्चा – सचिव ने कर की बात करते हुये बताया की गांव में यदि कर वसूली की प्रक्रिया नहीं हुई तो सरकार परफॉरमेंस ग्रांट नहीं देगी और ग्राम पंचायत को नुकसान होगा। सरपंच ने भी लोगों से निवेदन किया की वे अपना कर समय से जमा करवाए और वार्ड पंचो को जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने वार्ड की सूची ले कर लोगों को कर देने के लिए प्रोत्साहन दे। सचिव ने बताया की कर से पंचायत की स्वयं आय बढ़ती है ओर पंचायत गांव के विकास के कामो को बेहतर तरीके से कर सकती है।

आगे सरपंच ने बताया कि कुटराघोडी गांव मे, बिजली की चोरी हो रही है और यदि इस बार ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो पंचायत जिम्मेदारी नहीं लेगी। जो भी लोग, बिजली की चोरी कर रहे है वे ऐसा करना बंद कर दे, नहीं तो उनका नाम बिजली कंपनी को दे दिया जायेगा ओर कानूनी कार्यवाही होगी।

ग्राम सभा मे घरेलू हिंसा पर भी बात हुई, एक घर में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, सरपंच ने लोगो से बताया कि उस घर के मुखिया को बता दिया जाये कि यदि घरेलू हिंसा बंद नहीं की गई, तो अगली ग्राम सभा में इस मुद्दे को बैठक कार्यवाही पंजी मे लिख दिया जायेगा ओर फिर जनपद की ओर से कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महिलाओ द्वारा विधवा पेंशन के बारे पूछे जाने पर सचिव ने डाक्यूमेंट्स की जानकारी देते हुए, महिलाओ से कहा की पंचायत कार्यालय आकर डाक्यूमेंट्स जमा करवा दिए जाये तो मेरे द्वारा उन्हें जनपद पंचायत पहुंचा दिया जावेगा।

नए राशन कार्ड की भी बात निकली जिस पर सचिव ने डाक्यूमेंट्स की जानकारी दी। लोगो ने सरपंच और सचिव को बताया कि, 7–8 महीनो से बिजली का बिल नहीं आया है, कई महिनो का बिल एक साथ आने

से बिल की राशि अधिक हो जाती है, जिसके कारण गरीब लोग उसे भर नहीं पाते। लोगों ने निवेदन किया कि बिजली कंपनी को यह बात पंचायत द्वारा बताई जाये। बैठक कार्यवाही पंजी मे इस बात को शामिल कर लिया गया।

लोगो ने शमशान घाट में हैंड पंप की मांग रखी जो सचिव द्वारा लिख ली गई। महिलाओं ने सस्ते अनाज की दुकान के बारे मे मुद्दा उठाया, यह दुकान अमझर में, जो कि 7 कि.मी. की दूरी पर है। अनाज आता है ओर खत्म हो जाता है, कुटराघोडी के लोगो को पता ही नहीं चलता। महिलाओं ने कुटराघोडी मे एक सस्ते अनाज की दुकान का प्रस्ताव रखा। सचिव ओर सरपंच ने महिलाओं की बात को स्वीकृति देते हुये प्रस्ताव पारित किया।

ग्राम सभा का विश्लेषण –

सरपंच ओर वार्ड पंचो की भागीदारी –

हिनौता और कुटराघोडी के 8 वार्ड पंचो मे से 3 उपस्थित रहे, बेहतर निर्णय प्रक्रिया के लिए वार्ड पंचो की उपस्थिति होना जरूरी है। 3 वार्ड पंचों में से एक महिला पंच थी, वार्ड पंचों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझनी होगी। महिला वार्ड पंचों का सक्रिय होना होगा। सरपंच का नेतृत्व अच्छा रहा, वे निष्पक्ष रुप से मुद्दों पर चर्चा करवा रहे थे।

लोगो की भागीदारी –

सभी महिला और पुरूषो ने बहुत अच्छी भागीदारी की, किसी को भी बोलने से रोका नहीं गया। सरपंच और सचिव ने लोगो को अच्छा बोलने का मौका दिया और मुद्दों पर बोलने के लिए प्रेरणा दी। महिलाओ ने सस्ते अनाज की दुकान और घरेलू हिंसा जैसे अहम् मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया ओर चर्चा करवाके, निर्णय प्रक्रिया को समर्थन दिया। ग्राम पंचायत की जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है।

कोरम –

ग्राम सभा छुट्टी के दिन, सुबह 11 बजे रखी गई, यह समय महिलाओं के लिए बहुत अनुकूल रहा और पुरुषों से दुगनी संख्या मे महिलाये उपस्थित रही। ग्राम सभा का कोरम 11 प्रतिशत रहा, जो बहुत ही प्रशंसनीय है।

जवाबदेही –

ग्राम पंचायत ने सरकारी योजनाओ के अलावा गांव के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत मुद्दे पर चर्चा की और मुद्दों की जवाबदेही ली। ग्राम पंचायत का ध्यान गांव के सभी मसलों पर है और ग्राम पंचायत बेहतर तरीके से नियामक भूमिकाएं निभा रही है।

पारदर्शिता –

लाभार्थी चयन में ग्राम पंचायत पारदर्शी रही, पीएमएवाय के अंतर्गत, लाभार्थी की सूची लोगों को बताई गई और फिर नाम लिखे गए। आवास की कितनी राशि, कितने किस्तों में आती है, इसकी जानकारी भी पारदर्शी तरीके से दी गई।

प्रशासन –

ग्राम सभा की जानकारी लोगों तक समय से पहुँचें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, इससे लोगों मे उत्साह बढ़ता है। सरपंच और सचिव का समय से ग्राम सभा में हाजिर होने से लोगो को प्रोत्साहन मिला। ग्राम सभा मे जो भी चर्चा और निर्णय लिए गये, सचिव ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बैठक कार्यवाही पंजी मे लिखा। बैठक कार्यवाही पंजी मे लोगों से हस्ताक्षर ग्राम सभा खत्म होने के बाद लिए गये, जो कि ग्राम पंचायत की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

वीना माहोर,
जेण्डर रिस्पांसिव गर्वनेंस
यूएन वूमेन

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में प्रशिक्षण समीक्षा बैठक का आयोजन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. जबलपुर एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों की बैठक श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2018 को विकास आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई।

उक्त बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संस्थान अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यों मुख्यता वर्तमान में चल प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, सीआरपी एवं शौर्यदल प्रशिक्षण आदि की समीक्षा की गई।

संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की राजमिस्त्री प्रशिक्षण की प्रगति से अवगत कराते हुये बतलाया कि राजमिस्त्रियों के परीक्षा में पास होने की प्रवृत्ति 96 प्रतिशत है, जो पूरे देश में प्रथम है, इसकी निरंतरता को बनाये रखने का आश्वासन संचालक महोदय द्वारा दिया गया।

बैठक में मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल , संचालक, महात्मा गाधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के समस्त प्राचार्य उपस्थित हुये।

पंकज राय,
संकाय सदस्य